

न्यायालय तहसीलदार, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 717/24

निर्णय दिनांक 29/2/24

सरकार जरिये

बनाम

श्री. गन्धर्वाजी गुजरे पि. नारायण गुजरे
बि. वारी भाण्डन

पटवार हल्का सुवालीय

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

निर्णय

पत्रावली आज मुकाम ^{पत्र} पर पेश हुई। संक्षिप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सुवालीय ने इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि श्री. गन्धर्वाजी गुजरे पि. नारायण गुजरे ने तहसील बेगूँ के ग्राम भाण्डन में स्थित आराजी नम्बर 590 रकबा 0.80 किस्म चारागाह पर दोराने सम्वत् 2080 खरीफ में अनाधीकृत रूप से भूमि को पटवार की जात का अतिक्रमण किया है।

उक्त आशय की रिपोर्ट पेश होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस अन्तर्गत धारा 91(3) एवं धारा 91(6) एल.आर.एक्ट में जारी किया जो विधिवत रूप से तामील करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतिक्रमी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। अतिक्रमी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य में अतिक्रमित क्षेत्र अतिक्रमी के नाम नियमन योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अतिक्रमी को ग्राम भाण्डन में स्थित खसरा नम्बर 590 रकबा 0.80 किस्म चारागाह भूमि से बेदखली का निर्णय पारित किया जाता है। जुर्माना लगान 500 रु. का 50 गुणा राशि 2500/- रुपये आरोपित किये जाते हैं। जो वसूल हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 28.01.11 सिविल अपील संख्या नम्बर 1132/2011 व एस.एल.पी.(सी) नम्बर 3109/2011 श्री जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के अनुसार चरागाह भूमिया आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती है।

निर्णय बमुकाम लिखाया जाकर सुनाया गया।

पालनार्थ पटवारी एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।


तहसीलदार
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़